इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 जनवरी 2023—पौष 13, शक 1944

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2023

क्र. एफ 1-09-2022-एक-(1).—भारत के संविधान से अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम-2 में, अनुक्रमांक छब्बीस तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

   ''छब्बीस—सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण''

2. अनुसूची में, विद्यमान शीर्षक ''छब्बीस—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग'' के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

   ''छब्बीस—सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग''

3. भाग (इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय व कार्यालय में, अनुक्रमांक 1 एवं 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

   ''1. संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
   2. संभागीय संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला उप-संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी''

4. भाग (ऊ) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं, यदि कोई हों, के नाम और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो, में अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"1. सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों/अधिकारियों की स्थापना."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2023

क्र. एफ 1-09-2021-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-09-2021-एक (1), दिनांक 3 जनवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd January 2023

No. F. 1-09-2022-One (1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2, for serial number XXVI and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

"XXVI.. Social Justice and Empowerment of persons with Disabilities."

2. In the Schedule, for the existing heading "XXVI. SOCIAL JUSTICE AND DISABLED PERSONS WELFARE DEPARTMENT", the following heading shall be substituted, namely:—

"XXVI. SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES DEPARTMENT'".

3. In part (C) Directorates and offices coming under the Department, for serial numbers 1 and 2 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

"1.. Directorate, Social Justice and Empowerment of persons with Disabilities."

2. Divisional Joint Dirctor, Social Justice and Empowerment of Persons with Disabilities Officers, District Deputy Dirctor Social Justice and Empowerment of Persons with Disabilities Officers"

4. In part (F) Name of Services, if any, coming under the Department and Specal Service matters, if any, for Serial Number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, namely :—

"1- Establishment of Class-I, II, III and IV Employees/Officers of Social Justice and Empowerment of Persons with Disabilities Department."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RANJANA PATNE, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.